Annexure-II

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector Balaghat
****

No......1486..
Dated..19/7/017

Balaghat,

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **40.468 Hec.** of forest land proposed to be diverted in favour of **THE DHARAMSI MORARJI CHEMICAL CO. LTD Mumbai (M.H.)** name of user agency) for **Bauxite Excavation Work** purpose for diversion of forest land) in **Balaghat** district falls within jurisdiction of North Balaghat Forest Division, Forest Range- Fandki (Mohgoan) (T.) Forest Block Mohgoan **Tah./Block -Paraswada, Village- Fandki (Mohgoan) in 40.468 Hec. in applied Compartment No. 1491 forest land** village(s) in **Paraswada** tehsils.

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **40.468 Hec.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram, Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ....to ....annexure..............................

(b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular /local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Mohgaon mal, Th. Paraswada** villages(s) is enclosed as annexure...........to annexure ....

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it ;

(f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl:- As above

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

COLLECTOR
BALAGHAT

-: जिला स्तरीय समिति का सहमति पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है :-

1— आवेदक/मेसर्स "धरमसी मोरारजी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड मुंबई (महाराष्ट्र)" द्वारा बालाघाट जिले के तहसील परसवाड़ा के ग्राम फण्डकी (मोहगांव) में रकबा 40.468 हेक्टे. क्षेत्र पर बॉक्साईट उत्खनन हेतु वनकक्ष क्रमांक 1491 का भाग है। आवेदक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत बॉक्साईट उत्खनन हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है।

2— उपरोक्त संबंध में ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परांपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओ/प्रतिक्रियाओ का पालन पूर्ण कर लिया गया है एवं हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावे लंबित नही है एवं उक्त क्षेत्र में किसी भी दावेदार को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र मान्य नही किया गया है।

3— ग्राम पंचायत मोहगांव माल, जनपद पंचायत परसवाड़ा द्वारा भी व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परांपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओ /प्रतिकियाओ का पालन पूर्ण कर लिया गया है और अनापत्ति प्रदान की गई है।

4— अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैहर एवं अध्यक्ष उपखंड स्तरीय समिति बैहर के पत्र क्र/1246/अ.वि.अ./वन अधि./2017 बैहर 28.06.2017 द्वारा उक्त कार्य के लिये सहमति पत्र प्रदाय किया गया है।

5— वन भूमि के व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने बॉक्साईट उत्खनन कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है।

अतः जिला स्तरीय वन अधिकार समिति एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत /सहमति व्यक्त करती है।

(सचिव)	(सदस्य)	(अध्यक्ष)
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बालाघाट जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बालाघाट	वन मंडलाधिकारी उत्तर (सामान्य) वन मंडल जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बालाघाट	कलेक्टर जिला बालाघाट जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बालाघाट

-: उपखंड स्तरीय समिति का सहमति पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है :-

1— आवेदक / मेसर्स "धरमसी मोरारजी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड मुंबई (महाराष्ट्र)" द्वारा बालाघाट जिले के तहसील परसवाड़ा के ग्राम फण्डकी (मोहगांव) में रकबा 40.468 हेक्टे. क्षेत्र पर बॉक्साईट उत्खनन हेतु वनकक्ष क्रमांक 1491 का भाग है। आवेदक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत बॉक्साईट उत्खनन हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है।

2— उपरोक्त संबंध में ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परांपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओ / प्रतिकियाओ का पालन पूर्ण कर लिया गया है एवं हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्तिगत / सामुदायिक दावे लंबित नही है एवं उक्त क्षेत्र में किसी भी दावेदार को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र मान्य नही किया गया है।

3— ग्राम पंचायत मोहगांव माल, जनपद पंचायत परसवाड़ा द्वारा भी व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजांति और अन्य परांपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओ / प्रतिकियाओ का पालन पूर्ण कर लिया गया है और अनापत्ति प्रदान की गई है।

4— वन भूमि के व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने बॉक्साईट उत्खनन कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है।

अतः उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति बैहर एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत / सहमति व्यक्त करती है।

(सचिव)	(सदस्य)	(अध्यक्ष)
सहायक परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना बैहर उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति बैहर	उपवन मंडलाधिकारी उत्तर (सामान्य) वन मंडल उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति बैहर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैहर उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति बैहर

: कार्यालय :

ग्राम पंचायत मोहगांव (माल) ज०पं० परसवाड़ा तह० परसवाड़ा (बैहर)

कार्यालय ग्राम पंचायत मोहगांव (माल) ज.पं. परसवाड़ा तह-बैहर जि.-बालाघाट
क्रमांक ...
दिनांक ...

जिला :- बालाघाट (म.प्र.) दिनांक 30/5/013

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि आवेदक मे० धरमसी मोरारजी केमिकल कम्पनी लिमिटेड मुंबई (महाराष्ट्र) द्वारा वन कक्ष क्रमांक पुराना 240 कक्ष क्रमांक नया 1491 कुल रकबा 40.468 हेक्टेयर पं.ह.न. 28/45 पर खनिज बाक्साइड के उत्खनन हेतु खनिज पट्टा नवीनीकरण के लिए आवेदित है।

अतः उक्त भूमि पर खनिज बाक्साइड के उत्खनन एवं खनिज पट्टा नवीनीकरण पर ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, तथा खनिज बाक्साइड के उत्खनन से मजदूर वर्ग को रोजगार मिलने के साथ-साथ ग्राम व ग्रामपंचायत का विकास होगा।

अतः अनापत्ति हेतु प्रमाणित किया सो सत्य है।

(signature)
सचिव
ग्रा.पं. मोहगांव माल

(signature)
सरपंच
ग्रा.पंचा. मोहगांव (माल)

For (signature)
The D.M.C.Co.Ltd.

(11)

ग्राम सभा मोहगांव (माल)
जिला बालाघाट जनपद पंचायत परसवाड़ा
मध्यप्रदेश

— ग्राम सभा का सहमति पत्र —

प्रमाणित किया जाता है कि —

1. मे० धरमसी मोरारजी (आवेदक विभाग का नाम) केमिकल्स लि० की धरमसी मोरारजी केमिकल्स (नाम) कम्पनी लिमिटेड में व्यापार (कार्य का नाम) खनिज उत्खनन का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम फतेहपुरी मोहगांव के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड फतेहपुरी मोहगांव के कक्ष क्रमांक P. 1491 में/राजस्व वन क्षेत्र के खसरा क्रमांक — में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 30-5-2013 को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि, व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/ प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न:- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति।

दिनांक 30-5-2013

सरपंच
ग्रा.पंचा. मोहगांव (माल)
प्रधान/सचिव
हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित

नोट- प्रस्ताव पर यदि ग्राम सभा सहमत हो तभी यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाये। यदि ग्राम सभा सहमत न हो तो प्रमाण-पत्र जारी न किया जाये।

For The D.M.C. Co. Ltd.

दिनांक 30.5.2013

कार्यालय ग्राम पंचायत मोहगाँव (माल)

कार्यवाही बैठक की नकल

सत्य प्रतिलिपि

विकास खण्ड परसवाड़ा — तहसील जिला तह० परसवाड़ा (बैहर) जि० बालाघाट (म०प्र०)

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
		प्र०क्र० 03	ग्राम पंचायत मोहगाँव (माल) के अन्तर्गत दिनांक 30.5.2013 को आयोजित पंचायत बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष निर्णय लिया गया कि आवेदक मे० धरमसी मोरारजी केमिकल कम्पनी लिमिटेड मुंबई (महाराष्ट्र) द्वारा वन कक्ष क्र० पुराना 280 कक्ष क्र० नया 1491 कुल रकबा 40.468 हेक्टेयर प०ह०नं० 23/43 पर खनिज बाक्साइड के उत्खनन हेतु खनिज पट्टा नवीनीकरण के लिए आवेदित है। अतः उक्त भूमि पर खनिज बाक्साइड के उत्खनन एवं खनिज पट्टा नवीनीकरण पर ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। तथा खनिज बाक्साइड के उत्खनन से मजदूर वर्ग को रोजगार मिलने के साथ साथ ग्राम व ग्रामपंचायत का विकास होगा। जो अनापत्ति हेतु प्रस्ताव पारित किया गया।	खनिज बाक्साइड के उत्खनन एवं खनिज पट्टा नवीनी करण पर "अनापत्ति हेतु" सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।	सही क्र० 1 से 13 तक
(1)	श्री सुरेश सिंह धुर्वे (सरपंच)	खनिज बाक्साइड के उत्खनन हेतु खनिज पट्टा नवीनीकरण पर अनापत्ति विषयक।			
(2)	श्री ज्ञानसिंह धुर्वे (उपसरपंच)				
(3)	श्री शिवसिंह कुंजाम (पंच)				
(4)	श्री प्रमोद ठाकरे (पंच)				
(5)	श्री विरसिंह उइके (")				
(6)	श्री श्यामलाल परते (")				
(7)	श्रीमति कलाबाई पटले (पंच)				
(8)	" रामवती मरकाम				
(9)	" चन्द्रवती भलावी				
(10)	" गोदनबाई उइके				
(11)	प्रमिला श्याम				
(12)	मुन्नीबाई मर्सकोले				
(13)	यशोदाबाई मर्सकोले				

क्रमांक 03 दिनांक 30/5/2013

सचिव ग्रा.पं. मोहगाँव माल

सरपंच ग्रा.पंचा. मोहगाँव (माल)

ग्राम पंचायत मोहगाँव (माल)

For The D.M.C. Co. Ltd.